

**!! कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!**

**प्रेस-नोट**

**दिनांक:- 12.06.2018**

➤ **धारदार छुरा सहित एक गिरफ्तार –**

थाना सदर करौली – दिनांक 12.06.2018 को श्री मदनमोहन शर्मा हैड कानि0 1509 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मौजा गुनेसरा में एक व्यक्ति धारदार छुरा लेकर घूम रहा है। उक्त सूचना पर आरोपी 1. रघुवीर पुत्र रामसहाय प्रजापत निवासी गुनेसरा थाना सदर करौली को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से एक धारदार छुरा जप्त कर अभियोग संख्या 94/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पंजीबद्ध किया गया।

➤ **दो जुआरी गिरफ्तार जुआ राशि 760/ रूपये जप्त –**

थाना सदर करौली – दिनांक 12.06.2018 को श्री सोवरन सिंह हैड कानि0 119 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मौजा दीपपुरा में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे हैं। उक्त सूचना पर आरोपी 1. भंवरलाल पुत्र कमल 2. रामा पुत्र रत्तिराम जाति मीणा निवासीगण दीपपुरा थाना सदर करौली को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से जुआ राशि 760/ रूपये व 52 पत्ता ताश के जप्त कर अभियोग संख्या 92/18 धारा 13 आरपीजीओ में पंजीबद्ध किया गया।

➤ **61 पक्वा देशी शराब सहित एक गिरफ्तार –**

थाना सदर करौली – दिनांक 12.06.2018 को युधिष्ठिर सिंह उप निरीक्षक को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मौजा गुनेसरा में एक व्यक्ति देशी शराब ले जा रहा है। उक्त सूचना पर आरोपी कन्हैया पुत्र कल्ला माली निवासी गुनेसरा थाना सदर करौली को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 61 पक्वा देशी शराब के जप्त कर अभियोग संख्या 93/18 धारा 19/54 एक्ससाईज एक्ट में पंजीबद्ध किया गया।

➤ **शांति भंग करने पर 1 व्यक्ति गिरफ्तार –**

थाना सूरौठ – दिनांक 11.06.2018 को सीताराम स0उ0नि0 के द्वारा दौराने गस्त कस्बा धंधावली से गाली-गलोंच कर मरने मारने पर उतारू होने व पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर भी नही मानने पर आरोपी 1. वीरेन्द्र पुत्र लक्ष्मण जाटव निवासी धंधावली थाना सूरौठ को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।